संख्या-10/2020/736/33-3-2020-17/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायती राज,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च, 2020**

विषय- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण मद में अनुमन्य 0.15 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष राज्य स्तरीय पंचायत भवन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज में कराये जाने वाले कार्यों की वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्र संख्या-33/प्र0नि0कैम्प दिनांक 05.03.2020 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव एवं वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-7/2019/बी-2-139/दस-2019-2/2018 दिनांक 30.03.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के लिए व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि के सापेक्ष प्रशिक्षण के लिए अनुमन्य 0.15 प्रतिशत धनराशि में से राज्य स्तरीय पंचायत भवन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज स्थित सभागार को उच्चीकरण व अन्य कार्यों हेतु धनराशि रू. 247.13 लाख अवमुक्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

Work Cost	Centage	Labour Cess	G.S.T.	Bought Out Items	Power Connection	Total (in Lacs)
151.92	18.99	1.52	20.51	54.19	-	247.13

(1) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गई व्यवस्थानुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 व समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर, उक्त पर व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा।

(7) निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जायेगा तथा निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा जिससे कॉस्ट ओवर रन टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) स्वीकृत धनराशि का वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किए जाने से पूर्व वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

(13) कार्य एवं लागत के विवरण संलग्न परिशिष्ट में है।

2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 व अन्य संगत शासनादेशों में प्रावधानित व्यवस्थान्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, राणा प्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उ0प्र0 प्रदेश शासन।
4- निदेशक/उपाध्यक्ष, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, प्रिट, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 रमा शंकर मौर्य)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।